>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012 (Discussion not concluded).

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (DR. GIRIJA VYAS): I beg to move:

> "That the Bill to protect the rights of urban street vendors and to regulate street vending activities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

माननीय सभापति जी, आज जब इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर मैं इस सदन में आई हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरे सामने ही नहीं, सदन में बैठे हुए सभी लोगों के सामने उन अनेक लोगों की व्यथाएँ घूम रही होंगी, जिन लोगों ने इस दर्द को झेला है, जो इस दर्द को झेल रहे हैं। पथ-विक्रेता या स्ट्रीट वैन्डर्स हमारी शहरी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अंग हैं। पथ-विक्रय शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीबों के लिए न केवल स्वरोज़गार का एक स्रोत है, बल्कि अधिकतर शहरी लोगों को, विशेषकर आम आदमी को किफायती और सुविधाजनक सेवाएँ मुहैया करने का साधन है। पथ-विक्रेता आम तौर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें लाभप्रद औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोज़गार नहीं मिल पाता और वे अपनी जीविका के मुद्दों को अल्प-वित्तीय साधनों और पसीने की कमाई से हल करने का प्रयास करते हैं।

मैं यहाँ पर यह निवेदन करना चाहती हूँ कि 2004 से इस पर पॉलिसी बनने की बात कही गई थी। 2007 में यूपीए-1 ने इसे उठाया और 2009 में नई पॉलिसी इस पर डैवलप हुई। 2010 में मॉडल बिल के रूप में सभी स्टेट्स को इसको भेज दिया गया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमैंट्स ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और जहाँ तक मुझे याद है, केवल एक स्टेट को छोड़कर उन्होंने इस पर कोई बिल नहीं बनाया। इसलिए स्टेट सब्जैक्ट होने के बावजूद भी जब लीगल डिपार्टमैंट से पूछा गया तो इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत 20, 23 और 24 एन्ट्री के अंतर्गत सैन्ट्रल गवर्नमैंट को कहा गया कि इस पर यूनिवर्सल लॉ बने। 2012 में यूनीफॉर्म सैन्ट्रल बिल बनकर तैयार हुआ, कैबिनेट में 17 अगस्त, 2012 को गया, लोक सभा में 6 सितम्बर, 2012 को गया, स्टैन्डिंग कमेटी में 10 सितम्बर को गया, 10 मार्च को लौटकर आया, और आज यह बिल हमारे सामने है।

इस बिल पर कुछ बोलने से पहले मैं निश्चित तौर पर अपने बचपन की एक बात को रिपीट करना चाहूँगी। मेरे बहुत छोटेपन की बात है। हमारे यहाँ मेले लगते हैं, और सभी के यहाँ लगते होंगे। उस वक्त मोहन नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, जब वह अपने खिलौनों को लेकर जाता था तो बहुत गंभीर शब्दों में वह एक गीत को गुनगुनाता था - "मिट्टी से खेलते हो बार बार किसलिए, इन खिलौनों से है तुझे प्यार किसलिए। " मैं सोचती थी कि वह यह गाना क्यों गाता है। जब वह लौटकर आता तो उसके कुछ खिलौने टूटे-फूटे होते थे, कुछ पर आघात-प्रतिघात होता था, कभी पुलिस की उसके ऊपर मार पड़ती थी, कभी म्युनिसिपैलिटी द्वारा उसको भगाने की कोशिश होती थी, और जब वह लौटकर आता तो आँसुओं में तैरती हुई उसकी आँखों को मैं देखा करती थी। एक ऐसा ही मंजर मैंने तब देखा और सभी ने देखा होगा, जब हमारे छोटे-छोटे दुकानदारों की दुकानों पर अचानक प्रहार होता है, दुकानें तोड़ दी जाती हैं, ठेले हटा दिए जाते हैं और उनको बेघर-बार कर दिया जाता है। यह वह लोग हैं सभापति जी, जिन लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, लेकिन जो खुद्दारी के कारण अपना व्यवसाय करके अपने आधार पर जीविका का साधन, संसाधन ढूंढ़ना चाहते हैं। मैंने इस मंजर को देखा और उस मंजर के संबंध में मैं बात करूं तो एक बार सारे ठेलों को विशेषकर महिलाओं के आम के ठेलों को लुटा-पिटा दिया और उस वक्त मुझे केवल यह शेर याद आया था कि "दुनिया वालों यह कैसी बस्ती है, जिंदगी मौत से भी सस्ती है। लोग देते हैं मौत को कांधा, जिंदगी रहम को तरसती है।" मुझे पता नहीं था कि बरसों बाद उन अनजान लोगों के लिए, उन असंख्य लोगों के लिए शहर की 2.5 प्रतिशत आबादी के लिए यह बिल लेकर मुझे सदन में उपस्थित होना पड़ेगा। मैं इसके लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूं कि एक लम्बी कवायद के बाद यह बिल सदन में पेश हुआ है, उस पर निश्चित तौर पर सर्वसम्मति की छाप लगेगी।

सम्पूर्ण शहरी समाज को पथ विक्रताओं द्वारा विशेषकर अपेक्षाकृत गरीब वर्गों की तुलना में दिए गए विशेष योगदान को ध्यान में रखते हुए तथा बेहतर दशाएं स्थापित कर उन्हें बेहतर ढंग से अपनी जीविका कमाने को समर्थ बनने के लिए भारत सरकार ने इस विधेयक का प्रस्ताव किया है। इस विधेयक में सभी पथ विक्रताओं के लिए समान रूप से व्यवस्था है। लेकिन मैं यहां पर यह निवेदन कर दूं कि ग्यारहवीं और बारहवीं योजना में जो एनक्लूसिव ग्रोथ का हमारी सरकार का वादा था, उसी वायदे और दावे के अनुरूप उन लोगों के बारे में भी सोचा गया, जिन लोगों के प्रति कोई सोच और विचार अभी तक नहीं रखता था।

महोदय, यह बिल अपने आप महत्वपूर्ण इसलिए भी साबित होता है क्योंकि इस बिल में एक विशेष बात है कि इस बिल में मौजूदा पथ विक्रेताओं को दो तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला, विधेयक के लागू होने से सभी स्ट्रीट वैंडर्स को खाली कराए जाने तथा दूसरे स्थान पर भेजे जाने की समस्या से टोटल रूप से वह सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिनको इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व विक्रय प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि जारी कर दिए गए, वह उस अवधि में उसके लिए विक्रय प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि जारी किए गए हैं, उसकी और अब जो जारी किए जा रहे हैं, उसकी श्रेणी में वह सम्मिलित हो जाएंगे।

मैं यहां यह निवेदन करना चाहती हूं कि कन्टीन्यूटी के आधार पर और इस दृष्टि से कि समस्त जनता को भी इससे लाभ मिलता है, आस-पास के इलाकों से वह सुलभ और सस्ती वस्तुं खरीद सकते हैं। इससे दोतरफा लाभ होने वाला है, एक तरफ उन स्ट्रीट वैंडर्स को स्वयं और दूसरा अल्प आय वाले मध्यम वर्गीय लोगों को, जो इसके माध्यम से समझ सकें।

महोदय, यह बिल लाने से सबसे बड़ी बात हुई कि इसमें संविधान के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। आर्टिकल-41, आर्टिकल-19(1) और 19 (1)(जी), 38(2), 39(ए), 39(बी) और 41। इन सब के आधार पर जिनमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान हो सके और ऐसा वातावरण बने ताकि वह बिना भय के आजीविका कमा सके। कैबिनेट ने 23 फरवरी को जो बिल रखा था, वह बिल आज इस दशा में आया है कि हम इसको पास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, मैं यहां यह निवेदन कर दूं कि इस बिल की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे इस बिल के संबंध में लग रही है कि इस बिल में स्वयं में टाउन वेंडिंग एथॉरिटी की बात कही गयी है। इसमें प्रत्येक लोकल एथोरिटी को जो कि बिल के अंतर्गत है, उसमें इम्पलीमेंटेशन करने की बात कही गई है और उस टाउन वेंडिंग एथोरिटी में 40 प्रतिशत चुनिंदा लोग होंगे, जो उन्हीं स्ट्रीट वैंडर्स में से आएंगे और उसमें से तीस प्रतिशत महिलाएं होंगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी

आदि सभी लोगों का समावेश होगा। झगड़े न हों इसलिए इस बिल में इस बात का प्रावधान और सुरक्षा की गई है कि इसमें सभी स्ट्रीट वैंडर्स को सर्वेक्षण करने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार और सर्वेक्षण करने की व्यवस्था है। साथ ही में इसमें ऐसा भी प्रावधान है कि जब तक ऐसा सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी पथ विक्रेता को उसके स्थान से बेदखल नहीं किया जाएगा अथवा नये स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा तथा सभी स्ट्रीट वैंडर्स को विक्रय करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह अपने आप में बहुत अनुठी बात है। इसी के साथ-साथ जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं जैसा मैंने अभी सदन को निवेदन किया कि इसमें 2.5 प्रतिशत हमारी अर्बन पॉपुलेशन है। अभी के आंकड़ों के अनुसार इसमें निश्चित तौर पर तो नहीं लेकिन दो प्रतिशत तक का आता है। जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हम लोग सोच सकते हैं कि 2.5 प्रतिशत पॉपुलेशन इससे समर्थित होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसमें वे उन अधिकारों का प्रयोग कर उन सभी लोगों को समान रूप से न्याय दे सकें। इसमें वेंडिंग ज़ोन, नॉन-वेंडिंग ज़ोन आदि की व्यवस्था की गयी है।

इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक बाज़ारों पर विशेष ज़ोर दिया गया है और उसे विशेष परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक बाज़ार का अर्थ है जहां क्रेता और विक्रेता एक निश्चित अवधि से अधिक समय के लिए किसी विशिष्ट उत्पाद अथवा सेवा के क्रय-विक्रय के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हैं जैसा कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा शहर विक्रय समिति से परामर्श करके विनिश्चित किया गया है। समुचित आयोजना प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स का स्थान अथवा उनके क्षेत्र का प्रावधान मौजूदा प्राकृतिक बाज़ार के लिए उपयुक्त है और अनुरूप है। मैं इसमें विशेष रूप से सदन का ध्यान चाहूंगी कि इसमें जो प्राकृतिक बाज़ार है और जहां पर पचास वर्षों से लगातार बाज़ार का प्रावधान है, वह उनके लिए प्राकृतिक बाज़ार है। इस प्रकार प्राकृतिक स्थान जहां क्रेता और विक्रेता स्थायी रूप से एकत्रित होते हैं उन्हें इस विधेयक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार इसमें पथ विक्रेताओं को उत्पीड़न से बचा कर और उनकी जीविका के साधनों को बढ़ावा दे कर उनको समान रूप से कवरेज करने की व्यवस्था की गयी है।

इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस विधेयक में पथ विक्रेताओं को पुलिस और अन्य प्राधिकारियों के उत्पीड़न से बचाने के लिए विशिष्ट प्रावधान है। यह विधेयक की धारा में एक बात विशेष रूप से लिखित है जिस पर मैं तवज्जो चाहूंगी क्योंकि यह बात बहुत बार उठायी जाती है कि एक अन्य नियम है जिसके तहत उनको हटा दिया जाता है, लेकिन जब से यह लागू होगा उसमें कोई भी पुराना नियम उसी वक्त Null and void हो जाएगा। इसमें लिखा है-

> "इस समय लागू किसी भी अन्य नियम में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद किसी भी व्यक्ति अथवा पुलिस अथवा इस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को उसके विक्रय प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार पथ-विक्रय के क्रिया-कलाप करने से नहीं रोकेगा। "

यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्त है।

महोदय, इस विधेयक में गैर-न्यायिक शिकायतों के निवारण करने के तंत्र की स्थापना करने की व्यवस्था है। उसमें जब भी स्ट्रीट वेंडर को यह लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या उसको रद्द कर दिया गया है, विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से मनाही की गयी है, प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में वह स्थानीय अधिकारी को एक अपील कर के अपनी बात को रख सकता है। यहां मैं यह निवेदन कर दूं कि उस अपील में 40 प्रतिशत लोग उसके अपने होंगे इसलिए वहां पर उसे न्याय मिलने की गुंजाइश ज्यादा होगी।

स्थानीय प्राधिकरण को, योजना प्राधिकरण से सलाह कर के और शहर विक्रय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष में पथ विक्रेताओं के पेशे को उन्नत बनाने के लिए एक योजना तैयार करना अपेक्षित है। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा -

पहला, कोई भी मौजूदा प्राकृतिक बाजार और सर्वेक्षण के अंतर्गत पहचान किया गया कोई मौजूदा बाजार को गैर-विक्रय क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यह अचानक नहीं कह दिया जाएगा कि यह गैर विक्रय क्षेत्र है।

गैर-विक्रय क्षेत्र की घोषणा करते समय इसका ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा करते समय कम से कम पथ विक्रेता विस्थापित हो।

भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक बहुत बड़ी बात यह सामने आती है कि उन्हें इसलिए रोका जाता है कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाके में है। इसके अंतर्गत उन्हें बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले किसी स्थान को गैर विक्रय क्षेत्र का आधार नहीं माना जाएगा बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र में उन पथ विक्रेताओं को विक्रय करने के प्रमाण-पत्र जारी करने पर प्रतिबंध है।

एक और बात कही जाती है कि स्वच्छता के आधार पर उनको हटाया जाता है। इसमें यह भी उल्लिखित है कि स्वच्छता संबंधी कारणों को गैर विक्रय क्षेत्र नहीं माना जाएगा जब तक कि स्वच्छता संबंधी चिंता का कारण स्ट्रीट वेंडर्स स्वयं न हों। उसे स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा उपयुक्त सिविक कार्रवाई द्वारा दूर नहीं किया जा सकता हो, यदि दूर किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में उसको वहां से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे समय, जब कि सर्वेक्षण नहीं किया गया हो और पथ विक्रय की योजना तैयार नहीं की गई हो। किसी क्षेत्र से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया नहीं जाएगा और गैर-विक्रय क्षेत्र उस इलाके को नहीं माना जाएगा। इस प्रकार विधेयक में स्ट्रीट वेंडर्स के व्यापक हितों की सुरक्षा की गई है। इसमें कुछ निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व तय करने की व्यवस्था है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पथ विक्रेताओं को विक्रय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में सफाई तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था बनानी आवश्यक है ताकि विक्रय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सम्पतियों का अच्छी तरह से रख-रखाव सुनिश्चित हो सके। इसी तरह से भीड़-भाड़ के इलाकों में भी उन लोगों को सावधानी बरतनी है।

मेरा मंत्रालय पथ विक्रेताओं के सामने पेश आ रही ऐसी कठिनाई के प्रति जागरूक है। वास्तव में पथ विक्रेता समुदाय से हमें प्राप्त हुए अनेक आवेदनों से, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया है कि जो माल उनका जब्त होता है, उनको छुड़ाने की व्यवस्था करने का विशेष प्रावधान किया जाए। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम उपाय के रूप में वस्तुओं को जब्त करने की कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसा अधिकतर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने वाले तीस दिन के नोटिस का अनुपालन करने पर ही ऐसा किया जाएगा। इस विधेयक में विशेष रूप से ऐसी व्यवस्था है कि जहां जब्ती की जाती है, वहां जब्त किए गए सामान की एक सूची बनाई जाएगी और उसकी एक प्रति वस्तुओं को जब्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से पथ विक्रेता को जारी की जाएगी। उसके बाद इसमें ऐसी व्यवस्था भी है कि नष्ट नहीं होने वाली वस्तुओं के मामले में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पथ विक्रेता द्वारा दावा करने के दो कार्य दिवसों के भीतर ही ऐसी जब्त की गई वस्तुओं को लौटा दिया जाएगा तथा नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में स्थानीय प्राधिकारी ऐसी वस्तुओं को पथ विक्रेता द्वारा दावा किए जाने के दिन ही उसे उसे लौटाना पड़ेगा। इस प्रकार इस विधेयक में अनेक प्रकार की बात की गई है।

यहां पर मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि इस बिल में वर्षों से जो लोग प्रताड़ित हैं, जिन लोगों को दर्द मिला है, उन लोगों के दर्द की बात को इसमें रखा गया है। इस बिल के माध्यम से जो सबसे बड़ी बात है, कि वे लोग जो चुन करके आएंगे, वे लोग जिनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, जहां पर वन-थर्ड महिलाएं हैं, जहां पर एससी, एसटीस हैं। उसके अतिरिक्त वहां पर अपील कर सकते हैं, लेकिन कभी झगड़े हों तो उस हालात में न्यायिक व्यवस्था भी है और रिटायर्ड न्यायाधीश इन मामलों में, इन झगड़ों को निपटाने में उनकी मदद करेगी।

यहां पर मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें एविक्शन को या खाली कराने को बहुत बड़ी कठिनाई के साथ ही कोई खाली करने की प्रक्रिया को करे, इस बात को सुनिश्चित किया जाना इस बिल की आवश्यक शर्त है। जहां तक हो सके, उस पर एविक्शन की कोई कार्रवाई न हो, उस पर पुलिस की कोई कार्रवाई न हो। उस पर म्युनिसिपेलिटी आ करके, रोज उसको डरा करके और धमका करके नहीं चली जाए। पहले नो-वेंडिंग जोन निर्धारित होगा, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक विशेष बात रखी गई है, जब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया हो और उस समय काफी स्ट्रीट वेंडर्स के नाम हों, उस समय लोटरी के द्वारा उनको उस क्षेत्र में बसाया जाएगा और जो बचे हुए हैं, उनको निकटवर्ती, जो बिलकुल निकटवर्ती बाजार हैं, उसके अंतर्गत उनको बसाया जाएगा।

मैं यहां पर आपसे एक बात और कहना चाहती हूं, जो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल में इस बात का प्रोविजन है कि जो हमारी नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, उसका पांच प्रतिशत पैसा इन लोगों की ट्रेनिंग के लिए, उनकी केपेसिटी बिल्डिंग के लिए, शहर के सौन्दर्यकरण के लिए और इन लोगों को कुछ अनुदान देने के लिए भी सुनिश्चित किया गया है। अभी 6404 से हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो काम करेंगे, उसका पांच प्रतिशत यदि स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है तो निश्चित तौर पर वे अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ा सकेंगे। सैक्शन 29 में इस बात का जिक्र है कि उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, पुलिस और दूसरी ऑथोरिटी को निश्चित तौर पर उनको हस्तक्षेप करने का कोई हक न होगा। इसमें एक बात का और विशेषकर जिक्र है कि इस बिल में स्पेसिफिकली इस बात का प्रोविजन है कि इसके रूल्स बिल के तैयार होने के एक साल के अंतर्गत ही बन जाएं और उसकी स्कीम छ: महीने के अंदर ही नोटिफाइड हो जानी चाहिए, ताकि केवल कागजों में रहने वाला बिल प्रमाणित न हो, बल्कि उसको कागजों से निकल कर जमीन पर लाने की आवश्यकता है।

मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं कि एक ऐसे वातावरण की, एक ऐसे ऐटमोसफेयर की और उन लोगों की बात को, उन लोगों की दर्द को मिटाने की कवायद इस बिल में है। मैं कहूंगी कि उनसे ज्यादा खुद्दार कोई नहीं हो सकता है, जिनको सरकार के पास नौकरियां नहीं मिल सकती, जो पूरी तरह से शिक्षित नहीं हैं, लेकिन अपनी अल्प संपत्ति में से भी कुछ बचा कर, जो अपने लिए संसाधन उपलब्ध किए हैं, और जब जॉब प्रोवाइड करना भी बहुत मुश्किल हो गया हो, उन संसाधनों के माध्यम से जो अपने-आप अपना जॉब पकड़ते हों, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि जो नेचुरल मार्केट का इसमें कंसेप्ट है, तो नोवेंडिंग, अन्य वेंडिंग और सभी तरह के इसमें जो प्रावधान हैं, इन सब पर हमें राय मिलेगी। लेकिन, अपनी बात की समाप्ति से पूर्व, मैं इस बात का जिक्र जरूर बारबार करना चाहूंगी कि इस बिल के माध्यम से एक ऐसी कवायद हुई है, जो एन.ए.सी. की रिकमेंडेशन के आधार पर ही था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिल कर कार्य करेंगे और दूसरी बात यह यूनिवर्सल होगा।

खास बात यह है कि शहरी आबादी का ढ़ाई प्रतिशत जब इससे कवर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को इससे लाभ होगा। आज सुबह से ले कर अभी तक हमारे घर पर अनेक स्ट्रीट वेंडर्स आए हैं, लोग दस्तक भी दे रहे हैं, लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि यह बिल कब आएगा? माननीया सोनिया गांधी जी ने एक सप्ताह पूर्व ही पूछा कि स्ट्रीट वेंडर्स बिल कब आएगा और इसी तरह सरकार की मंशा है। स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। ...(व्यवधान) मैं आगे बोल रही हूं। स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी के अधिकांश सुझाव मान लिए हैं। इसी के साथ-साथ विपक्ष की नेता तथा अन्य सभी लोगों के मत को निश्चित तौर पर इसमें सम्मिलि कर के...(व्यवधान) निश्चित तौर पर जब आप बोलेंगे और मैं उत्तर दूंगी तो आपका जिक्र करूंगी। शाहनवाज साहब इस पर बोलने वाले हैं। लेकिन, मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा कि जिनके दर्द को हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिनके दर्द को समझ नहीं पाते हैं, जो सुबह पता नहीं कितने पपड़ियां, गोलगप्पे, सब्जियां, फल और पता नहीं कितने लोगों के सपनों को अपने छोटे-छोटे सुंदर-सुंदर खिलौनों में बसा कर के ले जाते हैं, लौट कर अपने घर की व्यवस्था भी कर सकेंगे, उनके सपनों को टूटने न दें। उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। इस बिल का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करने में निश्चित तौर पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी जो भूमिका निभाई है, उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं और आज की शुरुआत के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill to protect the rights of urban street vendors and to regulate street vending activities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति जी, आपने मुझे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बी.जे.पी. के लोग बोल सकते थे, शाहनवाज जी इस पर बोल सकते थे, लेकिन चूंकि ये प्रवक्ता हैं, ये टी.वी. और अखबार में छपना पसंद करते हैं, इसीलिए ये कल बोलना चाहते हैं। अभी मंत्री जी का ध्यानाकर्षण आप ने इसलिए किया...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं चाहता हूं कि इसको कंक्लूजन तक ले जाएं। आप हमारे मन की बात कैसे जानते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमने अर्जुन जी को कह दिया। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please address the Chair. Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please continue.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, ज्यादातर देखा गया है कि जो महानगर हैं, कस्बे हैं, वहां पर खाना पका कर अपना व्यवसाय चलाने वाले लोग, फल-सब्जियां, छोटे-मोटे रेडीमेड गारमेंट्स, खिलौने, किताबें, घरेलू इस्तेमाल की तमाज चीजें, सजावटी समान, ये फुटपाथ पर रख कर लोग अक्सर बेचा करते हैं। ज्यादातर जो ये फेरीवाले होते हैं, या इनको हॉकर कह लीजिए, ये अनुसूचित जाति के बहुत ही गरीब, दबे-कुचले, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जो मुस्लिम भाई हैं, वे ज्यादातर इसमें इंवाल्व होते हैं। दूसरी बात, अगर हम उन्हें असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहें तो मेरे ख्याल से कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जहां तक राष्ट्रीय नीति बनाकर रेहड़ी वालों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण की बात कही गई है, माननीय मंत्री सुश्री गिरिजा व्यास जी इस बिल को लेकर आई हैं, मैं पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। यह विधेयक बहुत दिनों से लंबित और प्रतिरक्षित था। यह बहुत देर से आया लेकिन दुरुस्त समय में आ गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में फेरी वालों की संख्या कम से कम एक करोड़ है, लेकिन वास्तव में यह एक करोड़ से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में करीब चार लाख फेरी वाले वैंडर हैं जिनमें से फिलहाल 55 हजार लाइसैंसधारी हैं और बाकी वंचित हैं। मुम्बई में इनकी कुल संख्या पांच लाख के करीब है जिनमें से केवल 18 हजार लाइसैंसधारी हैं।

सभापति महोदय, आपने भी अक्सर देखा होगा कि शहर, कस्बे या जहां बड़े-बड़े महानगर हैं, वहां वे बहुत दया के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत उत्पीड़न होता है। नगर निगम, नगर पालिका के लोग हमेशा खदेड़ते रहते हैं। उनसे बड़ी मात्रा में फेरी शुल्क लिए जाते हैं जिससे उनका आर्थिक तौर पर शोषण होता है। दूसरी तरफ सिपाही भी उन्हें दौड़ाते रहते हैं कि यहां एनक्रोचमैंट कर रहे हो, कहीं और फेरी लगाओ। यह बिल बहुत अच्छा है, इनमें उन लोगों के संरक्षण की बात कही गई है। मेरे ख्याल से आज शहर की आबादी के 2.5 प्रतिशत लाइसैंस प्राप्त सक्षम लोगों के लिए लाभ की बात हो रही है, इससे ज्यादा लोगों को भी लाभ मिल सकता है। शहर का वह कौन सा इलाका है जहां आप उन लोगों को स्थापित करेंगे, उसे आपको चिन्हित करना पड़ेगा। आप उन्हें कोई ऐसा स्थान चुनकर न दें जो कस्बे से दूर हो। अगर ऐसा होगा तो उनका व्यवसाय नहीं चल पाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वह स्थान भीड़-भाड़ वाले इलाके के नजदीक हो ताकि उपभोक्ता को लाभ मिल सके और रेहड़ी वालों को भी लाभ मिल सके।

आपने बिल में प्रावधान किया है कि अगर कोई वैंडर गलत जगह पर रेहड़ी लगा लेता है तो उस पर एक हजार रुपये की जगह 250 रुपये जुर्माना किया जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि वह बेचारा दिनभर में 250 रुपये ही कमा पाता है। कभी-कभी उसका सामान बिकता भी नहीं है। अगर 250 रुपये से भी कम कर दिया जाए तो अच्छा होगा। निशिकांत जी, अगर आप देखें तो फेरी लगाने वाला, फुटपाथ पर बैठने वाला व्यक्ति 10 से 12 घंटे तक काम करता है। कुछ कमाई होती है, फायदा होता है तो साग-सब्जी या कुछ सामान ले जाकर अपने बच्चों का पेट पालता है। वह मौसम का प्रकोप भी झेलता है। अगर वर्षा आ जाए तो वह पन्नी लगाकर सामान को ढककर खुद भीगते हुए अपना सामान बेचता है। वह अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता। चाहे बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो या भरी दुपहरी में लू चल रही हो, वह अपनी दुकान लगाकर सामान बेचता है। उनके सामाजिक सुरक्षा के संसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग जो चिन्हित हो जाएंगे, आपके पास उनकी निश्चित संख्या हो जाएगी, अगर उनके स्वास्थ्य, बीमा की व्यवस्था करवा दी जाए तो उचित होगा।

दूसरी बात, मैंने देखा है कि अगर किसी की दुकान ज्यादा चल जाती है, चूंकि एक विभाग दूसरे विभाग के सम्पर्क में आ जायेगा, तो इनका बहुत अच्छा उद्धार हो जायेगा। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, जो एक-दो हैल्पर रखते हैं। वह भी न्यूनतम मजदूरी पाता हैं क्योंकि वह अपना सामान इतना बेच नहीं पाता, इसलिए न्यूनतम मजदूरी पाता है। वह छोटी-मोटी पूंजी से फुटपाथ पर अपनी दुकान शुरू करता है। खासकर बैंक से उन्हें लोन नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं है, उनके पास कोई ऐसी प्रापर्टी नहीं है। अगर उनके पास पैसा या प्रापर्टी होती, तो वह फुटपाथ पर क्यों दुकान लगाता? वे ज्यादातर सूदखोरों, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, उनसे यह पैसा लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। इनका इतना शोषण होता है कि वह ब्याज का पैसा भी नहीं दे पाते। सूदखोर उनका शोषण अनाप-शनाप ढंग से वसूलने का भी काम करता है।

मंत्री जी, आपको इस ओर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने इस बारे में थोड़ा बहुत इंगित किया है कि हम इनकी व्यवस्था करेंगे। आपने इसमें 18 वर्ष की मिनिमम आयु रखी है कि अगर कोई फीस देकर पंजीकृत हो जाता है, तो हम उसे अधिकृत जगह उसे दे देंगे, ताकि वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। यह अच्छी बात है. लेकिन इसमें आपको यह भी गौर करने की बात है कि कुछ बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी इस व्यवसाय में लिप्त पाये जाते हैं। कहीं न कहीं बाल श्रमिक, बाल मजदूर का भी दुरुपयोग न हो, इस ओर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने 18 वर्ष की जो आयु रखी है, वह ठीक रखी है। इसमें स्त्री और पुरुष, दोनों को रखना होगा, तभी जाकर इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।

दूसरा, कभी-कभी अतिक्रमण के नाम पर, आपने जो दर्द अभी कहा है कि इनको सम्मान नहीं मिलता था। ये इधर-उधर भागते रहते थे। दुकान किसी भी गंदी जगह पर रखकर अपना व्यवसाय शुरु करते थे। बहुत उत्पीड़न और शोषण के साथ इनको अपना जीवन यापन करना पड़ता था। इस बिल को लाकर इस सरकार ने बहुत उपकार का काम किया है।

माननीय मंत्री जी, मैं आपको और इस सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार यह बिल लेकर आयी है, उसके लिए यह बहुत बधाई की पात्र है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE (UDUPI-CHICKMAGALUR): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak in support of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012. In this Session, we have already passed three important Bills, namely, the Food Security Bill; the Land Acquisition and Rehabilitation Bill; and Pension Regulatory Bill. Today, we have passed some Amendments to the Wakf Bill. This present Bill helps the street vendors, as also the local authorities as well as the pedestrians.

On the face of it, it may look like as if it is a very small Bill, but it has far-reaching effects. It protects the livelihood of crores of street vendors, who are always facing threat from the police and other local authorities by way of being removed from the place where they are doing business.

There are vendors who sell vegetables or consumer products; or cobblers who repair shoes and *chappals*; it may be cycle repair shops or tea shops; or it may be shops selling *paani puri* and such other items. They sell their products at very cheap

prices, and in a way feed the poor people. On one side, they need protection from the Mafia who are controlling these street vendors. On the other side, they have some sleeping partners, that is, they do not invest money, but they come daily and collect money from these street vendors, namely, the department officials as well as the Police. I do not generalize the complaint against all the officers. But in the case of street vendors, this is what is happening day in, day out. I repeat that the allegations against the officials are not general. However, it is a fact that those who are involved in it do not invest any money, but they come daily and collect money from these street vendors. This is one part.

At the same time, this Bill also helps the pedestrians. At present, the street vendors are occupying the footpaths as they are forced to come on roads. There are likelihood of occurring accidents. Maybe sometimes, it is fatal, sometimes it is a minor accident. But once it is regulated, there will be control over all these things. Apart from these problems, the food items they serve, which is prepared on the road side, are not hygienic. The cut fruits are sold and the *paani puri* are also sold. They may not be hygienic. So, it will help the authorities to control selling these fruits and food items in the open.

On the other side, the local authorities will have to give them all the civic amenities like water supply and maintain hygiene in and around the place where they sell.

One other thing is that there are chances of these street vendors sitting in front of small hotels and small shops wherein it affects the shop keepers who pay tax and do business there. So, if everything is regulated, probably it will help both the street vendors and the shop owners.

The other main thing is that the local authorities have some control over the street vendors also because they can regulate. This is not a phenomena of street-vending only in India but it is in the Western country also. But the problem with our country is that it is not regulated. After this Bill becomes Act, probably the local authorities can take care of all these things.

The problems associated with the street-vending are not just confined to urban areas only. Even in the rural areas, the same difficulties are being experienced but it is not in a big way. It is in a small way. So, I would request the hon. Minister that the same Bill should be brought for the rural areas. The Rural Development Minister has just left. Maybe I think in a different form, they should bring another Bill to introduce all these regulations in the rural area also.

I would like to give certain suggestions to the Minister because in the Bill, it is said that certain things of the exclusion of Railway vendors in sub-clause 4 of Clause 1. It says:

> "The provisions of this Act shall not apply to any land, premises and trains owned and controlled by the Railways under the Railway Act, 1989."

What I suggest is that even in the State headquarters, it should be mentioned "any land premises and vehicles owned, controlled and regulated by the State Road Transport Authorities also". It is because it is restricted only to Railways in the urban areas, what will happen to Road Transport Authorities who have their bus stations where these problems also may arise?

The other thing is clause 21 of the Bill – "Preparation the Street Vending Plan". Every local authority shall in consultation with the Planning authority, if the Town Vending Committee is also included, probably they are the people ultimately who give license to these street vendors. So, it will help the planning authority to prepare a plan in a better manner and the stakeholders also should be involved in the planning authority. The Clauses16 and 17 are almost the same. Clause 16 says:

> "Every street vendor shall maintain civic amenities and public property in the vending zone in good condition and not damage or destroy or cause any damage or destruction to the same."

Clause 17 says:

> "Every street vendor shall pay such periodic maintenance charges for the civic amenities and facilities provided in the vending zones as may be determined by the local authority. "

These two Clauses 16 and 17 should be clubbed. Why I am suggesting this is whenever a Bill is drafted, it should be understood by the common man also. Ignorance of law has no place. So, unless he understands, it has no meaning. Just the law makers or the lawyers' understanding alone is not sufficient. If you simplify these Bills, it will help the common man. When confiscation is done under Clause 19, confiscation must be accompanied by issue of *panchnama* listing all the

items that have been confiscated.

The Sub-Clause (1) of Clause 38 is about rule-making and its implementation. The Bill has not prescribed a time frame. I would suggest to the hon. Minister to insert a specific time period within which rules may be drafted and provisions of the Act implemented, when it comes to force. Otherwise, it takes years together to draft the rules. I would suggest all these things to the hon. Minister.

One other thing that is very important is with regard to the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and persons with disabilities. That is very important. That is not sufficient. There must be due or adequate representation of these categories. They may not be considered at all, if it is not specifically mentioned.

The duties of local authorities, as per the provision of this Bill, are not limited. In the absence of this addition, it appears as though it is an exhaustive list. This would severely constrain the local authorities in the implementation of the Act.

About the dispute redressal mechanism, you have mentioned about the Sub-Judicial or Judicial Magistrate. When you were explaining, you said about the retired person. If it is so, that is well and good. The authority against whom the appeal is preferred should not be the local authority again. It should not go before the local authority because they are the people who are granting the vending licence. You cannot prefer an appeal again to the local authority as they cannot be the adjudicating authority also. They are the people who are granting and they cannot be the people who can adjudicate. That should not happen.

At the first instance of the grievance, an application must be made to the Town Vending Committee and the Town Vending Committee shall hold a settlement meeting. If a settlement or compromise is not arrived at within two weeks of receipt of application, then the matter may be referred to the permanent committee. There are second tier and third tier committees in place. I do not think one committee is necessary. Maybe you can have one District Committee. You cannot have a Committee for every small urban area. Maybe, if you are able to make a little bit change in these things, probably that will really help.

I commend this Bill. It is a very progressive Bill. It should have come much earlier. At least, it is better late than never. It has come into effect. I must compliment the Minister and the Government. Even this was recommended by the National Advisory Council. Even the Supreme Court had discussed about this. I support the Bill and conclude my speech.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन आफ लाइवलीहुड एंड रेग्युलेशन आफ स्ट्रीट वेंडिंग) बिल, 2012 सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक में मुख्य तौर पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण का इस विधेयक में अधिक ध्यान रखा गया है।

MR. CHAIRMAN : Shri Geete, please take your seat. Now it is 8 o'clock. Does the House want to continue with the discussion?

...(*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: No. Please take up 'Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Okay. Let the hon. Member finish his speech and then we will take up 'Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He wants only two minutes. Tomorrow he is not available. So, let him finish and then we will take up 'Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, do you want to continue tomorrow?

SHRI ANANT GANGARAM GEETE : I will continue tomorrow. That would be better.

MR. CHAIRMAN: Okay. We are taking up 'Zero Hour' now.